

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 4 / 2011-12

विज्ञापन संख्या :-4 / संयुक्त विज्ञापन / भर्ती / 2011-12 दिनांक : 19.05.2011

- निम्नलिखित पदों की भर्ती हेतु निर्धारित On line Application Form पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन-पत्र भेजना आवश्यक है।

विशेष नोट :- (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(2) आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

- आवेदन प्रक्रिया**-आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य केन्द्रीय निर्धारित एवं मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 40/- (रूपये 35/- आवेदन-पत्र भरने हेतु + रूपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> सेवयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रूपये 5/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन-लाइन आवेदन-पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रूपये 35/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी। **आयोग द्वारा हाथ से भरे गए फॉर्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।**

कृषि अधिकारी एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि विभाग के विभिन्न पदों की राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई-स्थाई होने की सम्भावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षित पदों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

| क्रम सं. | पदनाम | कुल पदों की संख्या | सामान्य वर्ग | | | | आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के) | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------------|----|-----|-----------------|---------------------------------------|-----|-------------|----|-----|---|---|---|
| | | | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | पिछड़ा वर्ग | | | | | |
| | | | सा. | म. | वि. | सा. | म. | वि. | सा. | म. | वि. | | | |
| 1. | कृषि अधिकारी (Agriculture Officer) | 27 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - |
| 2. | कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) (Agronomy) | 3 बैकलॉग | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3. | कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) (Agriculture Chemistry) | 1 बैकलॉग | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

संक्षिप्ताक्षर— सा.= सामान्य, म.= महिला, वि.= विधवा

नोट:-

(1) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग/वर्तमान के आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

(2) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षेत्रिक (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category Wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण :-** किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(3) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

(4) महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाएं गए पदों में से नियमानुसार विधवा महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

शैक्षणिक योग्यताएं—

कृषि अधिकारी(Agriculture Officer) पद के लिए:-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.एससी. (कृषि)।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) (Agronomy)पद के लिए:-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शस्य विज्ञान(Agronomy) के साथ द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. (कृषि)।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) (Agriculture Chemistry)पद के लिए :-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. अथवा रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान (Soil Science) में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. (कृषि)।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

कृषि अधिकारी (Agriculture Officer), कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) (Agronomy) एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) (Agriculture Chemistry)के पदों की प्रथम योग्यता के साथ यह परन्तुक लागू होगा कि:-

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पात्रयक्तम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

आयु:-दिनांक 01-01-2012 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में :-

(1)राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक23.09.2008 के अनुसार:-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/ की नहीं हुआ/ हुई है।”

स्पष्टीकरण : आयोग द्वारा कृषि अधिकारी (Agriculture Officer) के पद वर्ष 2008 में कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य)(Agronomy) एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) (Agriculture Chemistry) के पदवर्ष 1996 में विज्ञापित किये गये थे तत्पश्चात् इन विषयों के पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था परन्तु अब इन पदों का विज्ञापन जारी कर आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की जायेगी। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में कृषि अधिकारी के लिए दो वर्ष की तथा कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य)एवंकृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)के लिए तीन-तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में –

(क) **कृषि अधिकारी (Agriculture Officer)के पदों हेतु:**–(1) सामान्य महिला एवं राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग की पुरुष एवं महिलाओं अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) **कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) (Agronomy)के पदों हेतु :**–राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) **कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान)(Agriculture Chemistry)के पदों हेतु :**–राजस्थान की अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) रिजर्विस्ट्स जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रान्सफर हो गया है, के लिये 50 वर्ष होगी।

(4) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी(Substantive)रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(5) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।

(7) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी

(8) कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

(9) रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण ऑफिसर्स एवं शॉर्ट सर्विस कमीशण ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझे जायेंगे।

(10) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(11) कृषि अधिकारी के पदों हेतु सामान्य वर्ग की विधवा अभ्यर्थियों के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "NonCumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान: कृषि अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) पदों के लिये :

रनिंग पे बेण्ड-3 (15600-39100) ग्रेड-पे संख्या-15 (रुपये 5400/-)

“ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदर्भ किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।” अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं

महांगाई भत्ता: नियमानुसार। **परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं :** नियमानुसार।

कार्य : गाँवों में कृषि की नई तकनीकी की जानकारी पहुंचाना व उनके लिये आदान का प्रबन्ध करना। **मुख्यालय :** राजस्थान में कहीं पर भी। **पेंशन :-** दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि विभाग के विभिन्न पदों की राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई-स्थाई होने की सम्भावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षित पदों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

| क्रम सं. | पदनाम | कुल पदों की संख्या | सामान्य वर्ग | | आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के) | | | |
|----------|---|--------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-------|---------|-------|
| | | | सामान्य | महिला | सामान्य | महिला | सामान्य | महिला |
| 4. | सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) (Entomology) | 1 बैकलॉग | — | — | 1 | — | — | — |
| 5. | सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) (Agriculture Chemistry) | 4 बैकलॉग | — | — | 2 | — | 2 | — |

नोट :- राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित विभिन्नों को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

शैक्षणिक योग्यताएं:-

सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) (Entomology) पद के लिये :-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान के साथ द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. (कृषि) अथवा कीट विज्ञान में विशिष्टिता के साथ प्राणी विज्ञान में एम.एस.सी.।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) (Agriculture Chemistry)पद के लिये:-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान / मृदा विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. (कृषि)।

(2) देवनागरी लिखि हिन्दी काव्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) (Entomology) एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) (Agriculture Chemistry) पदों की प्रथम योग्यता के साथ यह परन्तुक लागू होगा कि:-

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

आयु :- दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार:-

‘यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।’

स्पष्टीकरण : आयोग द्वारा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) (Entomology) के पद वर्ष 1995 में एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) (Agriculture Chemistry) के पद वर्ष 1997 में विज्ञापित किया गया था तत्पश्चात् इन विषयों के पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था परन्तु अब इन पदों का विज्ञापन जारी कर आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की जावेगी। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में -

(क) सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) (Entomology) के पदों हेतु :- राजस्थान की अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिलाओं अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी,

(ख) सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन विज्ञान) (Agriculture Chemistry) के पदों हेतु :- राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(3) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद भी पर मौलिक (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिथिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जाएंगे।

(6) कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतनी ही अवधि के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उच्चोने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।

(7) कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(8) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(9) रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशाप्ट ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशाप्ट ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपरिथिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।

(10) सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(11) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

वेतनमान: सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के लिये:- रनिंग पे

बैण्ड-2(9300-34800), ग्रेड-पे सं.-13(रु. 4200/-)

‘ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्त्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दोरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदर्भ किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।’

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं ।

महंगाई भत्ता : नियमानुसार। कार्य : विभाग द्वारा निर्धारित पद से सम्बन्धित कार्य।

परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार।

मुख्यालय : राजस्थान में कहीं पर भी। पेंशन :- दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग के बारह पदों की राजस्थान सर्विस ऑफ इन्स्पैक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एण्ड बायलर्स एण्ड इन्स्पैक्टर्स ऑफ फैक्ट्रीज (केमिकल) रूल्स, 1958 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

| क्रम. सं. | पद का नाम | रिक्त पदों की संख्या | आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के) | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------|
| | | | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जनजाति | |
| सामान्य | महिला | सामान्य | महिला | सामान्य | महिला | सामान्य |
| 6 | निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स | 12 | 6 | 2 | 1 | - |
| | | | | | 1 | - |
| | | | | | 2 | - |

नोट :-

(1) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्तमान के आरक्षित पदों, जो कि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिश्रितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से

नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

(2) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal)रूप से प्रवर्गानुसार (Category Wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। **स्पष्टीकरण** :- किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(3) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

शैक्षणिक योग्यताएँ:-

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी. ई. (मैकेनिकल) या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अर्हताएँ

परन्तु यह कि उपरोक्त पद की योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

आयु:- दिनांक 01.01.2012 को 23 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 के अनुसार :-

"यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"

स्पष्टीकरण : इन पदों को आयोग द्वारा वर्ष 2004 में विज्ञापित किया गया था तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था परन्तु अब इन पदों का विज्ञापन जारी कर आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की जाएगी। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :-

(क) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) सामान्य वर्गकी महिला अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(3) इस विभाग में जो कार्य कर रहे हैं और सीधी भर्ती से भरे जाने वाले उच्च पदों के लिए आवेदन करें, उनको अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) रिजिस्ट्रेशन, जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो, के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

(5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।

(6) कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स को उतने ही काल के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।

(7) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(8) भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने के पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबस्टेटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु पात्र था, के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(9) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(10) रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद हेतु आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जावेगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके होंयदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।

(11) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपकरणों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

नोट :- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

वेतनमान:- रनिंग पै-बैण्ड संख्या-3 (रु. 15600-39100) ग्रेड पे संख्या-रूपये 15 (रूपये 5400/-)

उच्चतर प्रारम्भिक वेतन: नहीं। **महंगाई भत्ता**: नियमानुसार।

कार्य: पद से सम्बन्धित विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्य।

परिवीक्षा काल: (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएँ : नियमानुसार। **मुख्यालय** : राजस्थान में कहीं पर भी।

पेंशन :- दिनांक 1-1-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

3. अन्तिम दिनांक:- आवेदन की अन्तिम दिनांक -20 जून, 2011 को रात्रि 12-00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन-लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑन-लाइन आवेदन करें।

4. संवीक्षा परीक्षा का स्थान, माह एवं योजना :- संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक प्रकार(Objective Type) की होगी और जुलाई-अगस्त माह में अजमेर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा तिथि की सूचना भी आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत यथाशीघ्र जारी की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। यदि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन—पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करलें।

- 5. परीक्षा शुल्क:**—आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आयोग को भेजें:-

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रुपये 250/-

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु—रुपये 150/-

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु—रुपये 50/-

नोट :-1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 40/- (रुपये 35 आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 5/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रुप में सभी को देने होंगे।

2. ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन—पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं।

4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई—मित्र कियोस्क केन्द्र (C.S.C.) की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ई—मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं हैं वे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

- 6. आवेदन कैसे करें :—**अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट :-—राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

- 7. अनापत्ति प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में :—**सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकरणों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

- 8. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-**

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो,, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1—6—2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :—
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी ।

4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह—13 / 2006 दिनांक 22—5—2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण—पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा ।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजन हेतु “दहेज” से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28)

6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन—पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

- 9. अनुचित साधनों की रोकथाम:—**परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है।

- 10. श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा :—**सामान्यतया सभी परीक्षार्थीयों को प्रश्न—उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन हेतु विज्ञापन में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना—पत्र वांछित प्रमाण—पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

- 11. कृपया ध्यान दें :—**

i. **On line Application Form** आवेदन—पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन—पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाहीं गई आवश्यक समस्त सूचनायें संबंधित कॉलम में सही—सही एवं पूर्ण भरी गई हैं समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा अथवा **On line**

Application Form में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

- ii. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि **On line Application Form** भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं **On line Application Form** भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
 - iii. आयोग कार्यालय द्वारा **On line Application Form** में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका **On line Application Form** अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **On line Application Form** में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा।
 - iv. विज्ञापित पदों के विरुद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन-पत्र भेजकर भरवाया जाएगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन-पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पत्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- 12. प्रमाण-पत्रों का सत्यापन** :-आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ (जो कि संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले आवेदकों से भरवाए जाएंगे) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :–
- (अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
 - (ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही—सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
 - (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र **On line Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
 - (द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।
 - (य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
 - (र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
 - (ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्त श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **On line Application Form** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

नोट :-आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अन्तिम (**Provisional**)रूप से प्रवेश दिया जाएगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार-पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

आयोग की वेबसाइट:-

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी एवं संवीक्षा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष टिप्पणी :-

- (1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
- (2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसल, प्रवेश-पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।
- (3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- (5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- (6) आयोग को आवेदन-पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :–
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305026.

(डॉ.के.के. पाठक)

सचिव